# न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सिरोही

**पीठासीन अधिकारी : रूपा गुप्ता (DJ Cadre)**
**सेशन प्रकरण संख्या : 22/2021 (C.I.S No. 22/2021)**

राजस्थान राज्य

**——अभियोगी**

**विरुद्ध**

अंकुश पुत्र स्व0 ईश्वरलाल उम्र 26 वर्ष निवासी चर्च रोड गांधीनगर, आबूरोड पुलिस थाना आबूरोड शहर जिला सिरोही (राज0)

**——अभियुक्त**

**अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376(2)(एन) भा.दं.सं.**
**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256/2020 पुलिस थाना शिवगंज**

**उपस्थितिः—**
1. श्री लक्ष्मणसिंह बाला, लोक अभियोजक
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता अभियुक्त

## निर्णय

**दिनांक : 17.03.2026**

01. पुलिस थाना शिवगंज की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256/2020 अपराध अंतर्गत धारा 363, 376(2)(एन) भा.दं.सं. के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज द्वारा अभियुक्त अंकुश के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 363, 376(2)(एन) भा.दं.सं. के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से इस न्यायालय को उपार्पित किया गया जो इस न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक 01.03.2021 को प्राप्त हुआ। आगे इस निर्णय में पीड़िता को ''एम'' या ''पीड़िता'' के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

02. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी पीडिता 'एम' ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही के समक्ष दिनांक 17.12.2020 को एक टंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 इस आशय की पेश की कि परिवादिया अपने माता—पिता के साथ खाडियावास शिवगंज में निवास करती है। परिवादिया के भाई विकास व परिवादिया की आटे—साटे में आबूरोड निवासी ईश्वरलाल के पुत्र अंकुश एवं पुत्री मोनिका के साथ सगाई हुई थी जिससे दोनों परिवारों में जान—पहचान होने से प्रार्थी/अभियुक्त

अंकुश परिवादिया से फोन पर एवं मिलकर बातचीत किया करता था। प्रार्थी/अभियुक्त अंकुश एवं उसके परिवार वालों ने परिवादिया को बहला-फुसलाकर तथा डरा-धमकाकर भगाकर ले जाने व साटा में अपनी पुत्री की शादी अन्यत्र पैसे लेकर करने की नीयत से प्रार्थी/अभियुक्त अंकुश, ललिता, लक्ष्मणकुमार आर के बैण्ड आबूरोड, पुशी, विनोद, राजू, एम आस्टीन क्रिश्चियन व सुभाष ने षड़यंत्र रचकर दिनांक 15.09.2020 को दोपहर तीन बजे प्रार्थी/अभियुक्त अंकुश ने परिवादिया को मिलने के बहाने मोक्षधाम शिवगंज के पास बुलाया जहां परिवादिया अकेली मिलने गई जिसका फायदा उठाकर पहले से गाड़ी लेकर तैयार खड़े अभियुक्तगण आस्टीन, ललिता, विनोद व प्रार्थी/अभियुक्त अंकुश व सुभाषसिंह ने बलपूर्वक जबरदस्ती गाड़ी में परिवादिया को बैठाकर, उसका मोबाईल छीनकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे लक्ष्मकुमार दमामी के घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया तथा प्रार्थी/अभियुक्त ने रात्रि में परिवादिया के साथ बलपूर्वक इच्छा के विरुद्ध खोटा काम किया तथा परिवादिया को सभी अभियुक्तगण ने जान से मारने एवं झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी जिससे परिवादिया भयग्रस्त होकर अभियुक्तगण का विरोध नहीं कर सकी। दिनांक 16.09.2020 को अभियुक्तगण सुभाषसिंह, आस्टीन, ललिता, लक्ष्मण कुमार, विनोद, राजू ने परिवादिया को आबूरोड न्यायालय में लेकर गए तथा परिवादिया को चुपचाप शादी के कागजातों पर हस्ताक्षर व अंगूठे करवाने हेतु धमकाया जिस पर परिवादिया अपने साथ हुए विश्वासघात व खोटे काम से डरी व सहमी थी जिसने बिना सोचे-समझे अपनी जान की सलामती हेतु कागजातों पर हस्ताक्षर व अंगुठे कर दिए तब प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसी रात्रि पुनः परिवादिया के साथ बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध खोटा काम किया। परिवादिया अपनी इज्जत बचाने के लिए रोती चिल्लाती रही परंतु आपराधिक कृत्य करते हुए उन दरिंदो को मासूम परिवादिया पर दया तक नहीं आई तथा विरोध करने पर बैल्ट व लकड़ी से भी मारपीट की जिससे परिवादिया बेहोश हो गई। परिवादिया को अभियुक्तगण ने तीन माह तक कमरे में बंद रखा तथा पूरे दिन भूखा-प्यासा रखते। प्रार्थी/अभियुक्त अंकुश लगातार बलात्कार करता रहा जिससे परिवादिया कम उम्र में ही गर्भवती हो गयी। परिवादिया को गर्भपात की दवाई भी दी गई। दिनांक 03.12.2020 को परिवादिया ने मौका मिलते ही मोबाईल से अपनी माता को फोन पर अपनी आपबीती बताई तथा पुलिस थाना आबूरोड के सहयोग परिवादिया को अभियुक्तगण के कैद छुड़ाया। अभियुक्तगण ने परिवादिया के पहने हुए जेवरात तथा 25,000 रुपए भी जबरदस्ती छीन लिए............इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज द्वारा मुकदमा संख्या

256/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 363, 376(2)(एन) भा.दं.स. के तहत दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया बाद अनुसन्धान अभियुक्त अंकुश के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(एन) भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो प्रकरण कालान्तर में इस न्यायालय में कमिट होकर प्राप्त हुआ।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त अंकुश को धारा 366, 376(2)(एन) भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपित अपराधों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रुप में निम्न साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करायी –

| **गवाह संख्या** | **गवाह का नाम** | **किस तथ्य से सम्बन्धित साक्ष्य** |
|---|---|---|
| पी.डब्ल्यू. 1 | 'एम' | पीडिता |
| पी.डब्ल्यू. 2 | 'आर' | पीडिता की माता |
| पी.डब्ल्यू. 3 | 'के' | पीडिता का पिता |
| पी.डब्ल्यू. 4 | 'जी' | पीडिता का नाना |
| पी.डब्ल्यू. 5 | 'ए' | पीडिता का चाचा |
| पी.डब्ल्यू. 6 | मुकेशकुमार | मौतबीर साक्षी |
| पी.डब्ल्यू. 7 | विकासकुमार | मौतबीर साक्षी |
| पी.डब्लयु.8 | सुनीलकुमार | मौतबीर साक्षी |
| पी.डब्लयु.9 | डॉ0 तृप्ति मीणा | चिकित्सकीय साक्षी |
| पी.डब्लयु.10 | लक्ष्मणराम | अग्रेषण पत्र तैयार कर्ता |
| पी.डब्लयु.11 | भंवरलाल | मालखाना इंचार्ज |
| पी.डब्लयु.12 | बुद्धाराम चौधरी | अनुसंधानकर्ता |

तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया :–

| **दस्तावेज** | **प्रकृति** | **दिनांक** |
|---|---|---|
| प्रदर्श पी.1 | प्रथम सूचना रिपोर्ट | 21.12.2020 |
| प्रदर्श पी.2, 3 | फर्द नक्शा मौका | 23.12.2020 |

| | | |
|---|---|---|
| प्रदर्श पी. 4 से 6 | पीडिता के 164 दं.प्र.सं. के कथन, सम्मन व आदेशिका | 04.01.2021 |
| प्रदर्श पी. 7, 8 | थानाधिकारी के पत्र | |
| प्रदर्श पी.9 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त | 12.01.2021 |
| प्रदर्श पी. 10 | फर्द जब्ती अभियुक्त के पारचात | 12.01.2021 |
| प्रदर्श पी.11से15 | पीडिता के चिकित्सकीय दस्तावेज | |
| प्रदर्श पी.16 | थानाधिकारी का अग्रेषण पत्र | 18.01.2021 |
| प्रदर्श पी.17 | पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र | 18.01.2021 |
| प्रदर्श पी.18 | प्राप्ति रसीद | 19.01.2021 |
| प्रदर्श पी.19, 20 | मालखाना रजिस्टर की प्रति | |
| प्रदर्श पी.21 | अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट | 12.01.2021 |
| प्रदर्श पी.22 | चाक एफआईआर | 21.12.2020 |
| प्रदर्श पी.23, 24 | पीडिता की सोनोग्राफी रिपोर्ट | 15.03.2020 |
| प्रदर्श पी.25, 26 | कॉल डिटेल | |
| प्रदर्श पी.27 | रोजनामचा रपट | 20.01.2021 |

05. तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने अपने स्पष्टीकरण में साक्ष्य अभियोजन पक्ष को गलत होना एवं स्वयं का निर्दोष होना कथन किया है। बरियत में अभियुक्त की ओर कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की हैं।

06. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।

07. दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जावें।

08. उक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया हैं। उनका तर्क है कि

पीडिता बालिग होकर सहमत पक्षकार थी तथा पीडिता, उसके पिताजी व माता के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। घटना दिनांक 15.09.2020 की है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.12.2020 को दर्ज करवाई है, इतनी देरीना रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत् अभियोजन पक्ष की ओर से कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है। चिकित्सकीय साक्ष्य अनुसार भी पीडिता के साथ किसी प्रकार का जबरदस्ती बलात्कार किया जाना साबित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

09. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण में विचारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न व्युत्पन्न होते है :—

1. क्या दिनांक 15.09.2020 को दिन में करीब 03.00 बजे सरहद मौजा मोक्षधाम शिवगंज से अभियुक्त अंकुश ने पीडिता 'एम' के साथ विवाह करने/उसके साथ अयुक्त संभोग किये जाने के प्रयोजन से डरा धमकाकर उसको आबूरोड ले जाकर जबरन अपहरण किया तथा आबूरोड ले जाकर डरा धमकाकर उसके साथ उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन बारम्बार शारीरिक संभोग कर बलात्कार किया'' ?
2. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है ?

10. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विचारणीय बिन्दु के प्रमाणिकरण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में परीक्षित हुए साक्षीयों का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी परिवादीया पीडिता 'एम' पी.डब्लयु.1 है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि वह शिवगंज में खाडियावास में उसके मम्मीपापा के साथ में निवास करती है, वे तीन भाई—बहन हैं। उसके भाई एवं उसकी सगाई आबूरोड़ आंटे सांटे में ईश्वरलालजी के घर हुई थी। उसके दोनो भाई—बहनों की शादी नहीं हुई थी। उसकी सगाई अंकुश के साथ हुई थी। उसके मम्मी—पापा माताजी के मंदिर के आगे ढोल बजाकर अपना जीवन यापन करते हैं। वह दसवी कक्षा तक पढ़ी है, घटना 15.09.2020 को दोपहर तीन बजे की है, वह उस समय घर पर थी, अंकुश ने उसे फोन किया और कहा कि उससे मोक्षधाम शिवगंज के आगे मिलने आओ, वह उसके फोन पर अंकुश को मिलने के लिए गयी। उसके पर्स में 25,000 रुपए और दो कानों की रिंग सोने की, सोने की रकड़ी थी। वह मोक्षधाम पहुंची वहां दो कार लेकर के आठ जने खड़े थे जिसमें अंकुश, ललिता, सुभाषसिंह पुलिस वाला, विनोद, राजू, लक्ष्मण, पूसी व ऑस्टिन खड़े थे। उस समय उसे ऑस्टिन, सुभाषसिंह पुलिस वाले ने एवं

विनोद ने धमकी दी कि उनके साथ चल अन्यथा उसके परिवार वालों को मारेंगे। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक कार में बैठाया। उसके साथ वाली कार में ऑस्टिन, सुभाषसिंह पुलिस वाला, अंकुश और वह बैठी बाकि लोग दूसरी कार में बैठे। कार से ये लोग उसे सीधा आबूरोड लक्ष्मण के घर लेकर गए। उसके घर के ऊपर उसे रखा, उसी रात को लक्ष्मण के घर पर अंकुश ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसने उसे चाकू से डराया था, इसलिए वह नहीं बोल पाई। फिर उसके दूसरे दिन उसे आबूरोड कोर्ट में अंकुश, ललिता, ऑस्टिन एवं विनोद लेकरगए और कोर्ट में उसे डरा–धमकाकर कोरे कागजों पर उसके अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर करवाए। फिर उसके दूसरे दिन अंकुश, ललिता, ऑस्टिन और विनोद उसे शिवगंज थाने लेकर आए। अंकुश और साथ वालों ने उसे धमकी दी कि शिवगंज थाने में उन्होंने जो कहा है वहीं बयान देना अन्यथा तुम्हें व तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे। फिर वहां से उसे पुनः आबूरोड ललिता के घर पर लेकर गए वहां उसे तीन माह तक बंदी बनाकर रखा। वहां उसे खाना भी नहीं देते थे, घर आने का बोलती थी तो मारते थे। तीन महीने तक लगातार अंकुश उसके साथ बलात्कार करता रहा जिससे उसके गर्भ ठहर गया था जिस पर अंकुश ने उसे जबरदस्ती दूध के साथ गोलियां देकर उसका गर्भ गिराया था जिस वजह से उसके रक्तस्त्राव हुआ था एवं वह ज्यादा बीमार हो गयी थी। फिर उसने चुपके से अंकुश के फोन से उसकी मम्मी को फोन किया तब उसकी मम्मी पापा एवं भाई उसे लेने आए तब वह मम्मी के साथ आबूरोड थाने से शिवगंज आई एवं घर पर आकर उसके मम्मी–पापा को सब बात बताई। फिर उसने दिनांक 14.12.2020 को पुलिस थाना शिवगंज में रिपोर्ट रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पेश की थी जिसको पुलिस ने 21.12.2020 को दर्ज किया था। दिनांक 22.12.2020 को पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था एवं उसकी डीएनए जांच करवाई थी। पुलिस वालों ने दिनांक 23.12.2020 को शिवगंज से उसे भगाने के स्थान का मौका प्रदर्श पी.02 देखा था। उसके बाद आबूरोड में अंकुश के घर का मौका प्रदर्श पी.03 देखा था, उसके बाद पुलिस वालों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही से धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी.04 उसके करवाए थे। उसने पुलिस को कोई कपड़े पेश नहीं किए थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 07 है। वह अंकुश को जानती है जो आज हाजिर अदालत है।

11. पीडिता अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करती है कि उनके आंटा–सांटा की सगाई वर्ष 2018 में तय हुई थी, उसकी सगाई अंकुश के साथ तथा उसके

भाई की सगाई अंकुश की बहन मोनिका के साथ हुई थी। यह सही है कि हमारी सगाई से घटना के अंतराल तक दोनों पक्षों के रिश्तेदारों का एक–दूसरे के घर आना–जाना रहता था, आपस में फोन पर भी बात होती रहती थी। यह सही है कि वह सगाई के बाद अंकुश के साथ सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार विवाह करने के लिए तैयार थी। इस सुझाव को गलत बताया कि उसके पिताजी उसकी शादी अन्यत्र करवा देते, इसलिए उसने अंकुश को फोन करके बुलाया हो। इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 16.09.2020 को उसका व अंकुश का विवाह हुआ हो जिसका प्रमाण पत्र दिनांक 17.09.2020 को क्यारिया, तहसील आबूरोड से जारी किया गया था। विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श डी.1 की उसे जानकारी नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 15.09.2020 को उसकी माता रुकमणी देवी एवं अन्य रिश्तेदार भी आबूरोड आए थे। उसकी मां ने दिनांक 16.09.2020 को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई हो तो उसे पता नहीं। उसे प्रदर्श डी.2 गुमशुदगी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। यह सही है कि दिनांक 18.9.2020 को वह तथा अंकुश पुलिस थाना शिवगंज में पेश हुए थे। यह सही है कि पुलिस थाना शिवगंज में उस दिन उसकी माताजी रूकमणी देवी, दादी, मॉसी, मामा, भाई, नाना, राहुल, जगदीश किशनलाल वगैराह थे। उन सभी से वह मिली थी। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी.3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, उसे पता नहीं कि प्रदर्श डी.3 पर उसकी माताजी ने भी हस्ताक्षर किए हों। उसे पता नहीं कि प्रदर्श डी.4 पर उसने अंकुश के साथ जाने की ईच्छा लिखी हो। इस सुझाव को गलत होना बताया कि वह उसके बाद अपने पति अंकुश के साथ आबूरोड राजीखुशी गयी हो। इस सुझाव को गलत होना बताया कि दिनांक 18.09.2020 से तीन महीने के दौरान मैं पांच–छः दिन के लिए एक बार शिवगंज आई हूं। इस सुझाव को गलत होना बताया कि वह दिनांक 18.09.2020 के बाद माउंट आबू, आबूरोड, अंबाजी तथा मेले में अंकुश के साथ घूमने गयी थी जहां फोटो खिंचवाए थे। दिनांक 18.09.2020 से तीन महीने तक उसका मां, दादी और अन्य रिश्तेदारों से मिलने का काम नहीं पड़ा क्योंकि उसे कमरे में बंद रखा था। उसने 03.12.2020 को शिवगंज आकर दिनांक 05.12.2020 को घटना की जानकारी मम्मी–पापा को दी थी। इस सुझाव को गलत होना बताया कि दिनांक 03.12.2020 को आबूरोड थाने में उसके रिश्तेदारों ने अंकुश के रिश्तेदारों से रुपयों की मांग की हों। रिपोर्ट 10.12.2020 को शिवगंज में टाईप करवाई थी तथा पुलिस थाने में रिपोर्ट दिनांक 14.12.2020 को दी थी।

12. प्रकरण की महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता की माता पी.डब्लयु.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि वे शिवगंज में खाडियावास में रहते हैं व ढोल बजाने का काम करते है। उसकी एक लडकी 'एम' है, जो कक्षा दस तक पढी लिखी है, उसके दो लड़के है, उसकी लडकी 'एम' की सगाई आबूरोड ईश्वरलालजी के घर अंकुश के साथ की हुई थी एवं विकास की सगाई ईश्वरजी की लडकी मोनिका के साथ हो रखी थी। आपस में सगाई दो वर्ष तक रही। आज से 12 महीने पहले ईश्वरलाल की पत्नी ललिता उनके घर शादी के बारे में पूछने आई थी एवं उससे कहा कि वह 'एम' और अंकुश की शादी कर, उसने कहा कि उसके पास अभी पैसे नहीं है इसलिए वह शादी नहीं कर सकती। उन्होंने जाते हुए उसे धमकी दी कि शादी नहीं करेगी तो कुछ दूसरा ही होगा। करीब 12 महीने पहले वह माताजी के कुए पर मजदूरी करने गई थी तब ललिता ने उसे शाम को छः बजे फोन कर बोला कि तुम्हारी लडकी और उसके ने लव मैरिज कर ली है एवं उसे विनोद के गोदाम पर सुमेरपुर बुलाया, जहां उनका पूरा परिवार गया। वहां जाने पर विनोद ने कहा कि उसे अंकुश और 'एम' के बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर वे उसके बाद ललिता के घर आबूरोड गए एवं ललिता को पूछा कि कहां है, उसकी लडकी, उसे बता। तब ललिता ने कहा कि उसे मालूम नहीं है। तुम्हारी लडकी उनके लडके को लेकर क्या मालूम कहां गई है। फिर शिवगंज आकर उसने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर शिवगंज थाने में उसकी लडकी को लाया था। उस समय साथ में ऑस्टिन, ललिता, ऑस्टिन की पत्नी, अंकुश, विनोद, राजू थे। थाने में लडकी को उसके पास नहीं रखा था। वह थाने के बाहर बैठी थी एवं वहां से उसको वापिस ये लोग आबूरोड लेकर गए। 'एम' को उससे मिलाया भी नहीं था, फिर उसके तीन महीने बाद 'एम' का उसके पास फोन आया एवं उससे कहा कि उसके साथ ललिता, मोनिका एवं अंकुश मारपीट करते है एवं उसे रोटी भी नहीं देते है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह मर जायेगी, उसके साथ रोज खोटा काम भी करते है। उसके साथ मारपीट करते है एवं उसे घर से कहीं बाहर नहीं भेजते है। तब वह शिवगंज से आबूरोड थाने गई एवं पुलिस वालों से उसकी लडकी के बारे में बात की। तब आबूरोड पुलिस वालों ने अगली पार्टी को एवं उसकी लडकी को थाने में बुलाया। थाने वालों ने उसकी हालत देखकर कहा कि आप किसके साथ जाना चाहती हो तब उसने उनके साथ आने का बोला तब वे उसे लेकर शिवगंज घर लेकर आए एवं उसे अस्पताल दिखाने लेकर गए, अस्पताल

से दवाई लेकर घर आए। 'एम' के गर्भ था, जो आबूरोड में ही गिराया था, जिससे उसके ब्लीडिंग हो रही थी, उसके ईलाज के लिए अस्पताल गए, जो करीब 10 दिन तक बीमार रही। उसके बाद उसने उसे पूरी घटना बताई एवं कहा कि आठ जने उसे मोक्षधाम शिवगंज लेने करीब ढाई बजे दो गाडियां लेकर आए थे। लेने आने वालों में अंकुश, ललिता, लक्ष्मण, पूसी, राजू, आस्टिन, सुभाषसिंह पुलिस वाला, विनोद थे। जो उसकी लडकी को आबूरोड लक्ष्मण के घर लेकर गए, वहां उसके साथ गलत काम किया, फिर दूसरे दिन ललिता के घर लेकर गए। वहां उसकी लडकी को तीन महीने रखा एवं उसके साथ लगातार खोटा काम करता रहा। उसने शिवगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, शिवगंज थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। तब उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिरोही में रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 दी थी। रिपोर्ट देने के बाद शिवगंज थाने में सामने वाली पार्टी को भी बुलाया था। रिपोर्ट के बाद पुलिस वालों ने शिवगंज में मोक्षधाम के पास का मौका देखा था। पुलिस वालों को मौका 'एम' ने बताया था। उस समय मौके पर जीतू व मुकेश भी हाजिर थे, जो नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 है। दूसरा मौका पुलिस वालों ने आबूरोड में ललिता के घर का देखा था, जो नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 है। महिमा के कपडे पुलिस को नहीं दिए थे, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.07 है। उसकी लडकी 'एम' की पुलिस वालों ने मेडिकल जांच भी करवाई थी।

13. जिरह में उसकी साक्ष्य है कि यह सही है कि उसकी बेटी 'एम' की दो साल तक सगाई राजीखुशी रही। यह सही है कि हमारी जाति में आपस में आंटा सांटा का रिवाज है। यह सही है कि उसने प्रदर्श डी.2 रिपोर्ट पीएस शिवगंज में दी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह सही है कि उसने प्रदर्श डी.3 सी से डी उसके हस्ताक्षर है, प्रदर्श डी.3 में ई से एफ भाग उसके हाथ का लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वह पढ़ी–लिखी नहीं है। यह उसे पता नहीं कि 'एम' ने शिवगंज थाने में राजीखुशी अंकुश के साथ जाने की इच्छा जाहिर की हो। उसे पता नहीं कि अंकुश व उसकी पुत्री 'एम' ने राजीखुशी लव मैरिज की हो। इस सुझाव को गलत होना बताया कि उसकी पुत्री ने शिवगंज थाने में उन्हे यह बताया हो कि उन दोनों ने राजीखुशी विवाह किया है और बतौर पति–पत्नी साथ रह रहे है, इसीलिए उन्होंने तीन महीने तक 'एम' को लाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की हो। इस तीन महीने की अवधि के दौरान 15 दिन तक 'एम' के साथ उसकी बात हुई थी लेकिन उसके बाद उसके पति की उसकी

पुत्री के ससुराल वालों से बात होती रहती थी। यह सही है कि उसकी पुत्री के ससुराल वाले फोन पर बताते थे कि आज 'एम' घुमने के लिए अंबाजी गई है कभी अहमदाबाद और कभी आबूपर्वत गई। यह सही है कि इस दौरान 'एम' ने तीज त्यौहार करवा चौथ आदि किए थे फिर कहा कि जबरदस्ती करवाये तो वह क्या कर सकती है। उसकी पुत्री को तीन तारीख को आबूरोड से घर लेकर आए थे, पुलिस थाना में रिपोर्ट दिनांक 19.09.2020 को की थी। शिवगंज थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट पर उसकी पुत्री व अंकुश को लेकर आए थे उस समय उनके परिवार से वह, उसके पति, दोनों लडके, उसके ननिहाल वाले तथा उसके ससुराल वाले सपरिवार थे, अगर सभी के नाम बोलू तो दो पेज भरते है इतने लोग थे।

14. इसी प्रकार प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता का पिता पी. डब्लयु.3 अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि डेढ़ वर्ष पूर्व वह मजदूरी एवं ढोल बजाने का काम करता है, उसके तीन बच्चे है, जिनमें दो लडके एवं एक लड़की है। लडकी का नाम 'एम' है। विकास एवं 'एम' के आटे साटे का संबंध करीब 2 वर्ष पहले से आबूरोड अंकुश के वहीं किया हुआ था, सगाई के लिए उसके मामा मांगीलालजी और उनकी पत्नी तुलसी आए थे और उनका रिश्ता किया था, फिर उनका आना जाना शुरू हुआ। फिर ललिता शिवगंज उनके घर विवाह करने का पूछने आई। उसने आकर कहा कि आप लडके और लडकी की शादी करो। तब उन लोगों ने कहा कि अभी कोरोनाकाल चल रहा है और धंधा वगैरह नहीं है, थोडा धंधा चलने दो, उसके बाद शादी कर देंगे। ललिता को उन्होंने उस समय शादी का मना किया तो वह नाराज हो गई एवं जाते–जाते उनको धमकी देकर गई, लेकिन उन्होंने धमकी को नजरअंदाज किया, फिर उन्होंने उनकी लडकी को उठाने का कांड किया। सबसे पहले वे विनोद के गोदाम पर गए। विनोद को बात बताई तो विनोद ने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है। फिर ललिता ने उसकी पत्नी को फोन किया कि तुम्हारी लडकी को तो वह ले आई। फिर वह एवं उसके परिवार वाले आबूरोड ललिता के घर गए, जहां ललिता के घर पर ताला लगा हुआ था। फिर लक्ष्मण के वहां गए तो ललिता वहीं बैठी थी। उन्होंने उससे पूछा कि उनकी लडकी कहां है तो उसने बोला कि उनको कुछ पता नहीं, फिर वे घर आ गए। उन्होंने पीएस शिवगंज में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस वाले अंकुश और 'एम' को लेकर शिवगंज थाने में आए थे। उस समय 'एम' ने धमकी के कारण अंकुश के पक्ष में

बयान दिए थे और अंकुश के साथ आबूरोड गई थी। फिर तीन महीने 'एम' आबूरोड रहीं और आबूरोड से तीन महीने बाद 'एम' ने उनकी मम्मी को फोन किया कि आप उसे लेने आबूरोड आओ नहीं तो उसके साथ ये हालत कर रहे है और मारपीट कर रहे है। फिर वे लोग 'एम' को लेने आबूरोड थाना गए। वहां थाने वालों ने 'एम' एवं सबको वहां बुलाया। फिर थाने वालों ने उनसे पूछताछ कर 'एम' को पूछा कि किसके साथ जाना है, तब 'एम' उनके साथ शिवगंज आई। उस समय 'एम' थोडी बीमार थी, तीन–चार दिन सही नहीं रही। फिर थोडी ठीक हुई तब उसने उसे पूरी स्टोरी बताई एवं कहा कि दो गाडी भरकर सात–आठ जने आए थे, जिसमें अंकुश, ललिता, ऑस्टन, विनोद, राजू, सुभाष सिंह पुलिस वाला और पूसा आए थे और उसे आबूरोड लेकर गए और उसके साथ अंकुश ने गलत काम किया। फिर उन्होंने पुलिस वालों को रिपोर्ट दी थी, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही की थी।

15. जिरह में उसकी साक्ष्य है कि दो वर्ष तक हमारे सगाई संबंध रहा, तब तक दोनों परिवारों को एक दूसरे के यहां आना जाना रहा, उसके दोनों लडको की शादी करना बाकी है। उसकी पुत्री को आबूरोड से किस तारीख को लेकर आए थे, याद नहीं है। जिस दिन अंकुश और 'एम' को गुमशुदगी रिपोर्ट पर शिवगंज थाने वाले लेकर आए थे, उस दिन वह, उसकी पत्नी, उसके लडके और उसके भाई जगदीश भाई, सूरज एवं परिवार वाले शिवगंज थाने में गए थे। उसे पता नहीं कि उस दिन उसकी पुत्री ने उन लोगों को यह बताया कि उसने अंकुश के साथ शादी कर ली तथा वह अंकुश के साथ राजीखुशी जा रही है। उसकी पुत्री और अंकुश के शिवगंज थाने से आबूरोड जाने के बाद वे लोग तीन महीने तक कभी भी आबूरोड नहीं गए। हमारे राजीखुशी रिश्ता किया हुआ था उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था, इसलिए हम इन महीनों के बीच आबूरोड नहीं गए। लडकी के घर से जाने के बाद पहले सीधे आबूरोड गए थे, उसके बाद गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इस सुझाव को गलत बताया कि उनके आटे साटे संबंध अनुसार अगर ललिता ने उसकी बच्ची की शादी उसके बच्चे के साथ कर दी होती तो यह मुकदमा दर्ज नहीं कराते। आबूरोड थाने में जब हम गए जहां उसकी पुत्री को व उसके ससुराल वालों को पुलिस ने बुलाया था, उस समय आबूरोड थाने में उसकी पुत्री या उन्होंने उसके साथ घटना के संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। गुमशुदगी रिपोर्ट पर शिवगंज पुलिस वाले उसकी पुत्री और अंकुश को लेकर आए थे।

16. इस प्रकार उपरोक्त महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता, पीडिता की माता व पीडिता के पिता की उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि पीडिता व अभियुक्त की सगाई वर्ष 2018 में तय हुई थी, उसके बाद पीडिता अभियुक्त के आपस में फोन पर बातचित होती थी तथा पीडिता अभियुक्त के साथ विवाह करने को तैयार थी। तत्पश्चात् पीडिता के कथनानुसार अभियुक्त अंकुश ने उसको दिनांक 15.09.2020 को फोन कर मोक्षधाम शिवगंज के आगे मिलने के लिए बुलाया, पीडिता अंकुश से मिलने गई, उसके पश्चात् पीडिता की माता ने दिनांक 16.09.2020 को ही उसकी पुत्री पीडिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श डी.2 दर्ज करवाई, जिस पर दिनांक 18.09.2020 को ही पीडिता पुलिस थाना शिवगंज में उपस्थित हुई तथा उसने अपने बयान प्रदर्श डी.3 दिये, जिसमे उसने स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 15.09.2020 को अंकुशकुमार को उसने फोन कर बस स्टेण्ड पर बुलाया और वह घर से स्कूल की मार्कशीट लेकर घर से बस स्टेण्ड शिवगंज आई थी वहां उसे अंकुशकुमार मिला, वे दोनों रोडवेज में बैठकर आबूरोड पहुंचकर होटल में रूके थे फिर दूसरे दिन दिनांक 16.09.2020 को आबूरोड में ही सरकारी ऑफिस में जाकर लव मैरिज की थी फिर शाम को होटल में रूके थे फिर आज सुबह आबूरोड से वह और अंकुश शिवगंज थाने आये है, उसकी सगाई अंकुशकुमार के साथ होने से वह उससे प्रेम करती है, वह अपनी मर्जी से अंकुशकुमार के साथ गयी है और अब वह अंकुशकुमार के साथ ही जाना चाहती है, उसके उपर किसी का दबाव नहीं है। इस बयान प्रदर्श डी.3 पर पर पीडिता के ए से बी व उसकी माता के सी से डी हस्ताक्षर है। इस संबंध में पीडिता स्वयं ने थानाधिकारी शिवगंज को प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी.4 भी दिया है। इस बात की ताईद पीडिता की माता के कथनों से भी होती है, जिसने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि यह सही है कि उसने प्रदर्श डी.2 रिपोर्ट पीएस शिवगंज में दी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह सही है कि प्रदर्श डी.3 सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस संबंध में पत्रावली पर पीडिता व अभियुक्त विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श डी.1 दिनांक 16.09.2020 भी उपलब्ध है, जिसके खण्डन में पीडिता या अभियोजन पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

17. इसके अतिरिक्त पीडिता अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करती है कि पुलिस थाना शिवगंज में उस दिन उसकी माताजी, दादी, मॉसी, मामा, भाई, नाना, राहुल, जगदीश, किशनलाल वगैरा मौजूद थे, उन सभी से वह मिली भी

थी। इस बात की ताईद पीडिता की माता पी.डब्लयु.2 भी अपनी साक्ष्य में करते हुए कथन करती है कि शिवगंज थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट पर उसकी पुत्री व अंकुश आए थे उस समय उनके परिवार से वह, उसका पति, उसके दोनों लडके, उसके ननिहाल वाले तथा ससुराल वाले सपरिवार थे। यदि अभियुक्त द्वारा पीडिता का जोर जबरदस्ती डरा धमकाकर अपहरण किया जाकर उसकी इच्छा व सहमति के बिना डरा धमकाकर जबरन बारम्बार संभोग कर बलात्कार किया गया होता, तो पीडिता अवश्य ही पुलिस थाना शिवगंज में अपने पुरे परिवार की उपस्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध कथन करती। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में घटना दिनांक 15.09.2020 की बतायी गयी है तथा पीडिता तीन महिने तक अभियुक्त के साथ रही, इस दरम्यान पीडिता अपनी माता से फोन पर बातचित भी करती थी, तत्पश्चात् दिनांक 03.12.2020 को पीडिता शिवगंज आई तथा दिनांक 05.12.2020 को घटना की जानकारी अपने माता–पिता को दी तथा पीडिता ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 दिनांक 14.12.2020 को टंकित करवाई तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष दिनांक 21.12.2020 को पेश की है। पीडिता द्वारा घटना की रिपोर्ट इतनी देरीना पेश करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

18. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता का नाना पी.डब्लयु.4 भी अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि जिस दिन पीडिता व अंकुश शिवगंज थाने में लाए थे उस रोज पीडिता के परिवार वाले थे, पीडिता पहली बार आबूरोड गई तब करीब 3–4 महिने आबूरोड रही, इन 3–4 महिनों में वह कभी आबूरोड समझाने नहीं गया तथा न ही इन तीन महिनों में पीडिता से कभी फोन पर बात नहीं हुई थी। इसी प्रकार पीडिता का चाचा पी.डब्लयु.5 भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करता है कि यह सही है कि पीडिता के शिवगंज थाने से आबूरोड जाने के बाद व वापस उनके घर आने तक की अवधि में उनके घर से कोई आबूरोड नहीं गया। यह सही है कि अंकुश की बहन का विवाह अगर उसके भतीजे विकास के साथ कर दिया होता तो वे मुकदमा नहीं करवाते। मुकदमा दर्ज करवाने गया तब वह भी साथ में था, वे पहले सुमेरपुर वकील साहब के पास गये और वहां से रिपोर्ट तैयार करवाकर लेकर आये। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के अनुसंधानकर्ता साक्षी पी.डब्लयु.12 बुद्धाराम भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन करता है कि यह सही हैं कि प्रदर्श पी 4 के अनुसार महिमा दिनांक 03.12.2020 को अपनी मां, भाई और पिता के आबुरोड थाने के

जरिये शिवगंज आयी थी, जिस बाबत पीडिता ने अपने धारा 164 के बयान में कथन अंकित किया था। इस बाबत उसने आबुरोड थाने से कोई अनुसंधान नहीं किया, न ही आबुरोड थाने में परिवादिया द्वारा कोई रिपोर्ट दी हो तो उसने अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं की थी क्योंकि उसके अनुसंधान में ऐसा तथ्य नहीं आया था। यह सही हैं कि दिनांक 03.12.2020 से दिनांक 21.12.2020 तक की अवधि में परिवादिया या उसके परिवारजन द्वारा पुलिस थाना शिवगंज में उपस्थित होकर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी। यह सही हैं कि प्रदर्श पी 1 में पीडिता ने बेल्ट से, लकडी से मारपीट करना बताया हैं, इसके संबंध में कोई चोट प्रतिवेदन नहीं बनवाया तथा न हीं मारपीट के संबंध में चोट प्रतिवेदन या अन्य ईलाज संबंधित कोई दस्तावेज पेश किए थे। यह सही हैं कि पीडिता ने प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट में गर्भपात करवाने की टेबलेट जबरदस्ती खिलायी इस संबंध में उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। यह सही हैं कि पीडिता की माता ने पीडिता की गुमशुदगी बाबत रिपोर्ट प्रदर्श डी 2 पुलिस थाना शिवगंज में दी थी, जिस पर सी से डी पृष्ठांकन उसका कलमी हैं तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही हैं कि उपरोक्त गुमशुदगी पर एमपीआर नम्बर 21 दिनांक 16.09.2020 दर्ज किया गया था जिसकी जांच बनवारी लाल हैडकानि के जिम्मे की गयी थी जिसने दौराने जांच गुमशुदा महिमा, उसकी माता के बयान लिए थे। यह कहना सही हैं कि उपरोक्त गुमशुदगी की जांच में पीडिता ने अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश किया था जो प्रदर्श डी 1 हैं जिस पर ए से बी प्रमाणित करने बाबत उसके हस्ताक्षर हैं। यह सही हैं कि उपरोक्त गुमशुदगी की कार्यवाही के दौरान पीडिता ने स्वेच्छा से अंकुश कुमार के साथ जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी 4 शिवगंज थाने में पेश किया था, जिसमें अंकित तथ्य जो लिखे हुए हैं वे पीडिता ने अंकित किए थे। यह सही हैं कि उपरोक्त प्रदर्श डी 4 पर पीडिता व अंकुश ने हस्ताक्षर किए थे। यह सही हैं कि पीडिता की माता ने पीडिता की उपस्थिति में ही दिनांक 18.09.2020 को पुलिस थाना शिवगंज को प्रदर्श डी 7 के जरिये यह लिखकर दिया था कि उसकी लडकी मिल गयी हैं अब इसकी तलाश बंद करवाना चाहती हुं, जिससे गुमशुदगी की कार्यवाही बंद की थी। यह सही हैं कि पीडिता ने भी अपने बयानों में यह जाहिर किया था कि वह अंकुश के साथ राजीखुशी गयी है तथा उन दोनों ने शादी की हैं व बतौर पति पत्नी साथ में निवास कर रहे हैं। यह सही हैं कि किशनलाल ने अपने बयानों में यह बताया था कि हमारे आटे साटे का रिश्ता निभाना चाहते है किन्तु अंकुश की माता ललिता

ने अपनी पुत्री मोनिका की शादी उसके पुत्र विकास से करने का मना कर दिया इसलिए अब हमने यह मुकदमा दर्ज करवाया हैं। यह सही हैं कि अनुसंधान में यह तथ्य आया था कि पीडिता के भाई की सगाई अंकुश की बहिन के साथ की थी तथा अंकुश की सगाई पीडिता के साथ की थी, उसके अनुसंधान के दौरान यह तथ्य प्रमाणित हुआ था कि पीडिता व अंकुश दोनों ने शादी की थी एवं पति–पत्नी के रूप में साथ में रहे थे।

19. चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्लयु.09 डॉ0 तृप्ति मीणा अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि दिनांक 22.12.2020 को पुलिस तहरीर पर पीडिता का बलात्कार बाबत् शारीरिक परीक्षण किया था, पीडिता ने उसके समक्ष घटना की अवधि दिनांक 15.092020 से 03.12.2020 तक बतायी थी, पीडिता के शरीर पर कोई बाहरी व आंतरिक चोट के निशान नहीं थे, पीडिता की योनी पर कोई चोट का निशान नहीं था, उसका हाईमन रप्चर्ड था। जांच के समय यह नहीं बताया जा सकता कि पीडिता के एर्बोशन कितने समय पूर्व में कराया था। यह सही है कि जबरदस्ती बलात्संग के आलामात उसके प्राईवेट पार्ट पर नहीं पाए गए थे। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि पीडिता ने घटना की अवधि दिनांक 15.092020 से 03.12.2020 तक बतायी है तथा पीडिता के शरीर पर कोई बाहरी व आंतरिक चोट के निशान नहीं थे, पीडिता की योनी पर कोई चोट का निशान नहीं था, उसका हाईमन रप्चर्ड था तथा पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्संग के आलामात उसके प्राईवेट पार्ट पर नहीं थे।

20. साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर पीडिता, पीडिता की माता, पीडिता के पिता की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पायी गयी हैं और उन्होंने जो न्यायालय में कथन किये हैं वे सन्देहास्पद हैं। अभियुक्त व पीडिता की आटे साटे में सगाई होती है, जो दो साल तक चलती है, तत्पश्चात् अभियुक्त व पीडिता दिनांक 15.09.2020 को आबूरोड जाते है तथा दिनांक 16.09.2020 को दोनों विवाह पंजीयन करवाते है तत्पश्चात् पीडिता की माता द्वारा पीडिता की गुमशदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिस पर अभियुक्त व पीडिता दोनों पुलिस थाना शिवगंज में उपस्थित होते है, जहां पर पीडिता के समस्त परिवार वाले उपस्थित होते है तथा वहां पर पीडिता अभियुक्त के साथ स्वैच्छया शादी करने व उसके साथ रहने बाबत् प्रार्थना पत्र देते है, जिस पर पीडिता व पीडिता की माता हस्ताक्षर करती है तथा उसके पश्चात् करीब तीन माह तक पीडिता अभियुक्त के साथ रहती है तथा उस दौरान पीडिता अपनी माता से फोन पर बातचित करती

है, तत्पश्चात् अभियुक्त की बहिन की शादी पीडिता के भाई से नहीं करने पर पीडिता अपने माता–पिता के पास दिनांक 03.12.2020 को आती है तथा घटना की जानकारी दिनांक 05.12.2020 को अपने माता–पिता को देती है तथा घटना की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 को सुमेरपुर में वकील साहब से तैयार करवाई जाती है तथा दिनांक 14.12.2020 को घटना की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार पीडिता, पीडिता की माता व पीडिता के पिता की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष है तथा उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और उनके बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दोषी नहीं ठहराया जा सकता हैं।

21. गवाह पी.डब्ल्यू. 6 मुकेशकुमार व पी.डब्लयु.7 विकासकुमार नक्शा मौका के औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने पुलिस द्वारा उनके सामने नक्शा मौका व हालात मौका बनाया जाना तथा मौका तस्दीक करना कथन किया हैं और उन पर अपने हस्ताक्षर किया जाना कथन किया हैं। इन गवाहान की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की हैं जिनका कोई विशेष महत्व नहीं हैं। पी.डब्ल्यू.10 लक्ष्मणराम व पी.डब्लयु.11 भंवरलाल एफएसएल से सम्बन्धित गवाह हैं। जिनकी साक्ष्य भी औपचारिक प्रकृति की हैं।

22. उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त अंकुश द्वारा दिनांक 15.09.2020 को दिन में करीब 03.00 बजे सरहद मौजा मोक्षणाम शिवगंज से पीडिता 'एम' के साथ विवाह करने/उसके साथ अयुक्त संभोग किये जाने के प्रयोजन से उसको आबूरोड ले जाकर जबरन अपहरण किया जाकर आबूरोड में बिना उसकी इच्छा व सहमति के जबरन उसके साथ बारम्बार शारीरिक संभोग कर बलात्कार किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त अंकुश को अपराध अंतर्गत धारा 366, 376(2)(एन) भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

## :: आदेश ::

23. परिणामतः अभियुक्त अंकुश पुत्र स्व0 ईश्वरलाल निवासी चर्च रोड गांधीनगर, आबूरोड पुलिस थाना आबूरोड शहर जिला सिरोही (राज0) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376(2)(एन) भा.दं.सं के अपराध से सन्देह के आधार पर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् लिए गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

24. इस प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत/आर्टिकल—बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट हो।

**(रूपा गुप्ता)**
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

25. निर्णय आज दिनांक **17.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

**(रूपा गुप्ता)**
सेशन न्यायाधीश, सिरोही